अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबंधकीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 ब्याज वहन करने वाले जमा के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, राज्य प्रतिअनुपूरक वनरोपण जमा तथा खदान एवं खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं/निधियों में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 1.33 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है।

4.2 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूलधन चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में दर्शाना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण करार के अनुसार की जाएगी। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण करार में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये बजट से बाहर उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया

था। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़, जिसमें से ₹ 22.05 करोड़ वर्ष 2022-23 के दौरान जुटाए गए) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को लेखों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2023 तक हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के लेखों में हुडको की ओर ₹ 279.10 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में ऋणों को नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी निधियां सीधे तौर पर अंतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 14,423.48 करोड़ अंतरित किए जिसमें राज्य में मध्यस्थों/लाभार्थियों को अंतरण शामिल था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

4.4 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण ***तालिका 4.1*** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2018-19 से 2022-23 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रारंभिक शेष	9.71	7.81	7.34	8.77	9.05
प्राप्ति	2.16	1.66	2.34	0.68	0.87
संवितरण	4.06	2.13	0.91	0.40	0.79
अंतिम शेष	7.81	7.34	8.77	9.05	9.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है)/वित्तीय नियम/वित्तीय संहिता, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की स्वीकृति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई

गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शर्तें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.2*** *और* ***तालिका 4.3*** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष[1]	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		प्रस्तुतीकरण हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	1,588	7,800.80	7,709	8,429.14	7,565	7,760.45	1,732	8,469.49
2019-20	1,732	8,469.49	7,892	8,914.81	7,620	6,786.72	2,004	10,597.58
2020-21	2,004	10,597.58	730	6,425.48	292	2,472.28	2,442	14,550.78
2021-22	2,442	14,550.78	654	5,333.74	265	1,583.19	2,831	18,301.02
2022-23	2,831	18,301.02	695	6800.26	866	7,124.62	2,660	17,976.65

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।

₹ 18,301.02 करोड़ की राशि के 2,831 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31 मार्च 2022 तक) में से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,124.62 करोड़ के 866 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष 2022-23 के दौरान निपटान कर दिया गया था। 31 मार्च 2023 तक ₹ 17,976.65 करोड़ के 2,660 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

अनुदानों के संवितरण का वर्ष	31 मार्च 2023 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10	1	10.85
2010-11	7	33.08
2011-12	41	137.00
2012-13	51	247.88
2013-14	78	562.58
2014-15	66	200.71
2015-16	149	309.11
2016-17	205	611.94
2017-18	188	885.47
2018-19	315	2,202.89
2019-20	455	3,514.38
2020-21	409	2,460.50
2021-22	695	6,800.26
कुल	**2660**	**17,976.65**

कुल 2,660 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 11,176.39 करोड़ के अनुदान के 1,965 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2020-21 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 17,976.65 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 81.40 प्रतिशत चार विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभागः ₹ 5,647.13 करोड़ (31.41 प्रतिशत), शहरी विकास

[1] 2019-20 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2020-21 के दौरान ही देय हैं।

विभागः ₹ 4,718.98 करोड़ (26.25 प्रतिशत), स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा: ₹ 1,403.31 करोड़ (7.81 प्रतिशत) एवं सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 2,864.11 करोड़ (15.93 प्रतिशत) से संबंधित हैं जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (नवंबर 2023) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.6 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे अपेक्षित राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से धन डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखों की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2023 तक समायोजन के लिए लंबित असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.4*** में दिया गया है।

तालिका 4.4: 31 मार्च 2023 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16	1	0.01
2016-17	0	0.00
2017-18	1	1.21
2018-19	18	1.31
2019-20	53	6.22
2020-21	80	5.48
2021-22	70	11.12
2022-23	492	280.39
कुल	**715**	**305.73**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त सूचना

31 मार्च 2023 तक असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की 93.98 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (64.09 प्रतिशत - ₹ 195.94 करोड़ के तीन बिल), पर्यटन विभाग (17.50 प्रतिशत - ₹ 53.49 करोड़ के सात बिल), सामान्य शिक्षा विभाग (9.29 प्रतिशत - ₹ 28.41 करोड़ के 374 बिल) और परिवहन विभाग (3.07 प्रतिशत - ₹ 9.37 करोड़ के 107 बिल) से संबंधित है।

4.7 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-I (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य

निधियों से अंतरण द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से बिना किसी वास्तविक नकद प्रवाह के व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस अंतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना अपेक्षित है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित निधि से अंतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या शून्य थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के अंतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति ***तालिका 4.5*** में दी गई है।

तालिका 4.5: 31 मार्च 2023 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

व्यक्तिगत जमा खातों का स्रोत	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान शामिल किए गए		वर्ष के दौरान बंद किए गए		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
समेकित निधि	2	1,033.75	--	--	2	1,033.75	--	--
समेकित निधि से अलग	157	2,686.11	2	2,283.71	6	1,243.16	153	3,726.66
कुल	**159**	**3,719.86**	**2**	**2,283.71**	**8**	**2,276.91**	**153**	**3,726.66**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय से प्राप्त जानकारी

31 मार्च 2023 तक 153 व्यक्तिगत जमा खातों में से ₹ 54.02 करोड़ की राशि वाले 11 खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय थे और राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए थे।

4.8 लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न राजस्व और पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,488.99 करोड़ के व्यय, जो ₹ 1,18,071.16 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 8.04 प्रतिशत है और ₹ 3,811.78 करोड़ की प्राप्तियों, जो ₹ 89,268.60 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (50 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ***तालिका 4.6*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1.	2075[2]	विविध सामान्य सेवाएं	0.69	0.46	66.67
2.	2250[3]	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.83	3.92	81.16
3.	2700[4]	मुख्य सिंचाई	1,518.46	1,104.56	72.74
4.	2701[4]	मध्यम सिंचाई	216.37	181.67	83.96
5.	2801[5]	विद्युत	6,764.86	6,280.07	92.83
कुल			**8,505.21**	**7,570.68**	**89.01**

2018-23 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन

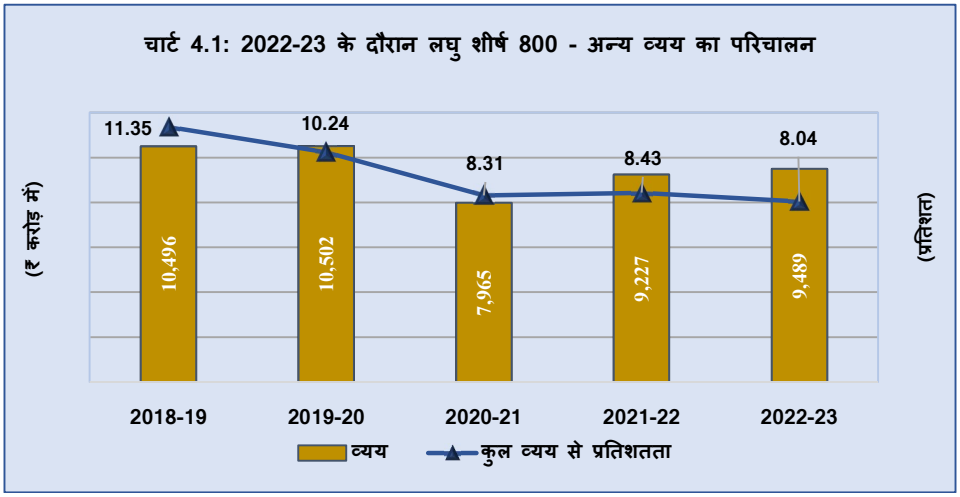

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की घटती प्रवृत्ति थी, जो 2018-19 में 11.35 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.31 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 2021-22 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गई और 2022-23 में और घटकर 8.04 प्रतिशत हो गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (नवंबर 2023) के दौरान वित्त विभाग ने सुनिश्चित किया कि 2023-24 के लेखों से सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

माप से संबंधित मामले

4.9 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया

[2] मुख्य शीर्ष 2075 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) से संबंधित है।

[3] मुख्य शीर्ष 2250 अन्य सामाजिक सेवाओं, विविध व्यापार मेलों से संबंधित है।

[4] मुख्य शीर्ष 2700 और 2701 पूंजी, ऊर्जा प्रभारों पर ब्याज से संबंधित है।

[5] मुख्य शीर्ष 2801 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता से संबंधित है।

शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में ***तालिका 4.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण

(₹ करोड़ में)

(क) 8658- उचंत लेखे						
लघु शीर्ष	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
	डेबिट	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	30.76	0.01	--	1.05	--	(-) 2.31
निवल	**30.75 (डेबिट)**		**1.05 (क्रेडिट)**		**2.31 (डेबिट)**	
102-उचंत लेखे (सिविल)	15.79	-	-	(-) 0.08	--	0.18
निवल	**15.79 (डेबिट)**		**0.08 (डेबिट)**		**0.18 (क्रेडिट)**	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	42.08	-	36.09	18.14	15.64	10.20
निवल	**42.08 (डेबिट)**		**17.95 (डेबिट)**		**5.44 (डेबिट)**	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-) 9.86	(-) 1.14	(-) 0.39	5.55	0.35	(-) 27.33
निवल	**8.72 (क्रेडिट)**		**5.94 (क्रेडिट)**		**27.68 (डेबिट)**	
110-रिजर्व बैंक उचंत - केंद्रीय लेखा कार्यालय	19.95	20.30	(-) 20.30	(-) 15.96	--	8.03
निवल	**0.35 (क्रेडिट)**		**4.34 (क्रेडिट)**		**8.03 (क्रेडिट)**	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत	-	55.32	1,347.84	1,088.91	1,729.38	1,572.53
निवल	**55.32 (क्रेडिट)**		**258.93 (डेबिट)**		**156.85 (डेबिट)**	
(ख) 8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन						
लघु शीर्ष	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
	डेबिट	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
102-लोक निर्माण प्रेषण	31.05	357.09	10,790.00	10,786.50	10,116.57	10,081.48
निवल	**326.04 (क्रेडिट)**		**4 (डेबिट)**		**35.09 (डेबिट)**	
103-वन प्रेषण	-	4.11	202.28	202.71	334.72	332.74
निवल	**4.11 (क्रेडिट)**		**0.43 (क्रेडिट)**		**1.98 (डेबिट)**	

स्रोत:वित्त लेखे

4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान 2022-23 में शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

4.11 नकद शेष का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2022-23 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 716.63 करोड़ (क्रेडिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 17.53 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2022-23 तक ₹ 734.16 करोड़ (क्रेडिट) के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण था।

4.11.1 सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई भी धन तब तक नहीं निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण अपेक्षित न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। ऐसे कार्यों, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरण की अनुमति नहीं है। वित्त विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि समेकित निधि से बजटीय आबंटन के बल पर आहरित निधियों की पार्किंग की अनुमति नहीं है और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आबंटन को समेकित निधि से आहरित करने और वित्तीय वर्ष के समापन से पहले किसी भी तरीके से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/धारणा के इसे बनाए रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

इसके अलावा, बैंकों के साथ व्यवहार के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (मार्च 2018) के पैराग्राफ 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग की विशिष्ट संस्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खाते में निष्क्रिय रखने के लिए निधियां आहरित नहीं करनी चाहिए।

मार्च 2023 माह के वाउचरों की जांच के दौरान, यह पाया गया था कि भारी वर्षा जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई रबी फसल 2022 के मुआवजे के भुगतान के लिए फरवरी 2023 के महीने के लिए उप-मंडल अधिकारी, राजस्व विभाग, बहादुरगढ़ द्वारा ₹ 8.29 करोड़ की राशि (झज्जर खजाने के वाउचर संख्या 1 के माध्यम से) आहरित की गई थी। तथापि, यह देखा गया था कि उक्त राशि लाभार्थियों को वितरित नहीं की गई थी किंतु बजट की चूक से बचने के लिए उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में जमा कर दी गई थी। संस्वीकृति आदेश के अनुसार, राशि का वितरण न होने का कारण लाभार्थियों का भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड (यूसीपी) तैयार करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, लाभार्थियों के भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड के सृजन का कार्य पूरा किए बिना, बजट की चूक से बचने के लिए खजाने से पूरी राशि आहरित कर ली गई और उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में जमा कर दी गई, जो कि उपर्युक्त वित्तीय नियमों, निर्देशों और नीति का गंभीर उल्लंघन था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि (फरवरी 2024) करते हुए बताया कि मुआवजा राशि बड़ी संख्या में लाभार्थियों से संबंधित थी और वित्तीय वर्ष 2022-33 के भीतर भुगतानकर्ता के लिए यूनीक कोड का सृजन संभव नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुए उप-मंडल अधिकारी, बहादुरगढ़ के बैंक खाते में निधियां जमा करा दी गई। इसके अलावा, ₹ 8.29 करोड़ में से ₹ 2.66 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए गए। तथ्य यह है कि निधियां आहरित करने के एक वर्ष बाद भी ₹ 5.63 करोड़ अभी भी अवितरित पड़े हैं।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

4.12 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2022-23 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां ***तालिका 4.8*** में दी गई हैं।

तालिका 4.8: लेखांकन मानकों की अनुपालना

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	अनुपालना/कमियां
1	**आई.जी.ए.एस. 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20)	प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। हालाँकि, स्वचालित डेबिट तंत्र और संरचित भुगतान व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
2	**आई.जी.ए.एस. 2:** *सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण*	अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10)	(i) ₹ 3,780.18 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया था। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई थी।
3	**आई.जी.ए.एस. 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18)	31 मार्च 2023 को वित्त लेखों की विवरणी 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष का राज्य सरकार द्वारा अभी तक समाधान नहीं किया गया था। ऋणी संस्थाओं के बकाया भुगतान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे

4.13 लेखों के संकलन से संबंधित मामले

4.13.1 ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में प्राप्त विवरण हरियाणा सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में न तो इन ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कोई मिलान किया गया था और न ही व्यक्तिगत ऋणदाता इकाई, पुनर्भुगतान और ब्याज जैसे विवरणों के अभाव में यह संभव था। विवरण के अभाव में वसूली न होने के साथ-साथ लेखा बहियों में प्रतिपादन प्रभावित होने का जोखिम रहता है। 2022-23 में ऋण एवं अग्रिम की वसूली ₹ 237.74 करोड़ थी। 31 मार्च 2023 तक ऋण एवं अग्रिम की शेष राशि ₹ 10,574.38 करोड़ थी।

4.14 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 42 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाई गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 या उससे पहले के वर्षों से संबंधित 42 स्वायत्त निकायों में से 11 स्वायत्त निकायों के लेखे जून 2023 तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न करने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.15 लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और इन संस्थानों से प्राप्त वार्षिक लेखों से संबंधित जानकारी की जांच से यह पता चला कि 94 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 277 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2023 तक लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है और विलंब की समय-वार स्थिति ***तालिका 4.9*** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 4.9: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की समय-वार स्थिति

क्र.सं.	विलंब वर्षों में	लेखों की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	94	446.40
2.	1-2	93	408.54
3.	3 एवं अधिक	90	442.58
	कुल	**277**	**1297.52**

स्रोतः सरकारी विभागों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त आंकड़े

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन निकायों/ प्राधिकरणों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान लागू हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से प्रत्येक वर्ष के समापन तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए संस्थानों की पहचान की जा सके।

4.16 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां निष्पादित करने वाले सरकारी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय प्रचालनों की कार्यप्रणाली के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और कार्य को चलाने में दक्षता को दर्शाते हैं। लेखों का समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की संवीक्षा से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम होता है।

जनवरी 2024 तक, ऐसे तीन[6] विभागों ने वर्ष 2009-10 और 2021-22 के मध्य की अवधि के लिए अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन विभागों में ₹ 10,726.81 करोड़[7] की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था।

4.17 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अतिरिक्त जिला खजानों, उप-खजानों, साइबर खजाना, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2022-23 के दौरान, लेखे प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

अन्य मामले

4.18 दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा

---

6 (i) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 2009-10 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना; (ii) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2018-19 से अनाज आपूर्ति योजना और (iii) परिवहन विभाग में 2020-21 से हरियाणा रोडवेज।

7 (i) राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक योजना: ₹ 17.97 करोड़; (ii) अनाज आपूर्ति योजना: ₹ 9,098.50 करोड़ और (iii) हरियाणा रोडवेज: ₹ 1,610.34 करोड़।

की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आगे, पूर्वोक्त नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 69.95 लाख के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 52 मामलों में सितंबर 2023 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विघटन ***तालिका 4.10*** में दिया गया है।

तालिका 4.10: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के लंबित मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/ हानियों/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित		विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	1	6.50	0	0	1	6.50	0	0
2	शिक्षा	20	40.12	1	0.09	18	40.03	1	0
3	श्रम एवं रोजगार	2	0.28	0	0	2	0.28	0	0
4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3	8.63	0	0	2	5.93	1	2.70
5	महिला एवं बाल विकास	4	10.52	2	10.52	2	0	0	0
6	सिंचाई	19	2.07	0	0	17	1.85	2	0.22
7	जन स्वास्थ्य	2	0.65	0	0	2	0.65	0	0
8	हरियाणा कौशल विकास एवं उद्योग प्रशिक्षण	1	1.18	0	0	1	1.18	0	0
	कुल	**52**	**69.95**	**3**	**10.61**	**45**	**56.42**	**4**	**2.92**

लंबित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा ***तालिका 4.11*** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 4.11: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समय-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि
0-5	13	23.77	चोरी के मामले	48	59.21
6-10	15	36.41			
11-15	1	0	सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि	4	10.74
16-20	8	8.71			
21-25	3	0.24			
26 एवं अधिक	12	0.82			
कुल	**52**	**69.95**	**सितंबर 2023 को कुल लंबित मामले**	**52**	**69.95**

चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 52 मामलों में से ₹ 46.18 लाख के 39 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 15 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

4.19 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वत: कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी कृत कार्रवाई टिप्पणियां विधायी समितियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 22 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (सितंबर 2023)।

4.20 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया। 2022-23 के दौरान कुल व्यय का 8.04 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

काफी संख्या में स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाए जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

आगे, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी।

4.21 सिफारिशें

1. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।
2. सरकार को नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए। सार आकस्मिक बिलों के समायोजन के विलंब से प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना अपेक्षित है।

3. वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।

4. वित्त विभाग को स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

5. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।